HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3665/2026

Poonam Singh S/o Shri Ratan Singh, Aged About 67 Years, Resident Salarvada, Kalab Khurd, Policestation Raipur, District Beawar, Rajasthan.
(At Present Lodged In Sub Jail Jaitaran, Dist. Beawar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Awar Dan Ujjwal
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अफीम के 42 पौधे बरामद हुए हैं, जो अपराध एनडीपीएस एक्ट की सूची के मुताबिक नोट 3 में 18सी के अपराध की श्रेणी में आता है। इस आधार पर धारा 37 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अफीम के 42 पौधे बरामद हुए हैं, जो

अपराध एनडीपीएस एक्ट की सूची के मुताबिक नोट 3 में 18सी के अपराध की श्रेणी में आता है। इस आधार पर धारा 37 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

6. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **पूनमसिंह पुत्र रतनसिंह,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

172-GauravG/-